(वाद संख्या–3325/19)

24.11.2020

प्रसंगाधीन मामला एक महिला, चिन्ता देवी, पिता बुधन, साकिन–परसौनी, थाना–साठी, जिला पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) के न्यायालय में दिये गये परिवाद–पत्र के आधार पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–156(3) के प्रावधानानुसार, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 379(बलात्कार)/420 (छल करना और बेईमानी से बहुमुल्य वस्तु/सम्पत्ति देने के लिए प्रेरित करना)/406 (विश्वास का आपराधिक हनन) तथा 504 (शान्ति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने) के अन्तर्गत संस्थित **साठी थाना कांड संख्या–162/2018, दिनांक 06–10–2018 में बेतिया पुलिस द्वारा अपने अधिकार का गलत रूप से उपयोग करते हुए प्राथमिकी के नामांकित अभियुक्त, जरार एजाज शेरखर, (परिवादी के पुत्र),** जन्म तिथि–**09–12–1995**, पुत्र–एजाज शेरखर, सा0–11/बी, साइकिल सोसाईटी, गेट नं0–2, कॉटर पुणे, थाना–समार्थ, जिला–पुणे (महाराष्ट्र), पिन–411011 **को गलत रूप से दिनांक 26–03–2019 को पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने** तथा **दिनांक 26–03–2019 से दिनांक 17–07–2019 तक मंडल कारा, बेतिया में अनावश्यक रूप से न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित रहने से सम्बन्धित है जिसमें बाद में पुलिस ने अन्वेषणोपरान्त घटना को पूर्णतः असत्य पाकर दिनांक 01–04–2019 को न्यायालय में अन्तिम प्रतिवेदन समर्पित किया।**

आयोग द्वारा सभी सम्बन्धित पक्ष को पूर्णरूपेण सुनने व सम्बन्धित कागजातों के अवलोनोकपरान्त **दिनांक–06–11–2019 को निम्नलिखित** आदेश पारित किया गया :–

‘‘उपरोक्त तथ्यो से प्रथमदृष्टया प्रस्तुत मामला एक नवयुवक (जन्म तिथि–09–12–1995) को साजिशपूर्वक फँसाने तथा अनावश्यक रूप से दिनांक 26–03–2019 से दिनांक–17–07–2019 तक अभिरक्षा में रखा जाना प्रतीत होता है तथा ऐसा कृत्य सभ्य समाज व एक कल्याणकारी राज्य के लिए पूर्णतः अस्वीकार्य है। इस अपराध के लिए दोषी पुलिस पदाधिकारियो/कर्मियों पर मात्र विभागीय कार्यवाही संस्थित

किए जाने से अल्पसंख्यक समुदाय के एक नवयुवक का पुलिस व्यवस्था से विश्वास समाप्त हो जाता है।''

आयोग द्वारा बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, पटना से इस सम्बन्ध में दोषी पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध सरकार के स्तर से की गई कार्रवाई तथा अल्पसंख्यक समुदाय के एक नवयुवक को अनावश्यक रूप से तथा अपने अधिकार का दुष्प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मियों द्वारा करीब तीन माह तक **बिल्कुल असत्य अभियोग** में, उसके मानवाधिकार का हनन करते हुए, कारा में ससीमित रखने के कारण **क्षतिपूर्ति** दिये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग की गई।

बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) के विशेष सचिव द्वारा अपने पत्रांक 4765, दिनांक 21–09–2020 द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि **मामले के पीड़ित को वित्तीय राहत दिए जाने के बिन्दु पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।**

राज्य सरकार के उपरोक्त पत्र पर परिवादी (पीड़िता की माता) नुसरत एजाज शेरखर से प्रत्युत्तर की मांग की गई।

परिवादी द्वारा दिनांक 09–10–2020 को समर्पित अपने प्रत्युत्तर में करीब 87 दिनों तक अपने पुत्र (पीड़ित) के कारा में संसीमित रहने के दौरान उसके तथा उसके पुत्र के सामाजिक प्रतिष्ठा के हनन, पुणे से बेतिया लगातार आने–जाने में हुई अनावश्यक आर्थिक क्षति तथा उसके तथा उसके पुत्र के मानसिक यन्त्रणा का उल्लेख करते **हुए 18 लाख रुपये की वित्तीय राहत दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।**

आयोग परिवादी व उसके पुत्र के साथ हुई आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के लिए उन दोनों के साथ सहानुभूति व्यक्त करता है तथा यह आशा करता है कि राज्य सरकार ऐसी तन्त्र विकसित करेगी जिससे ऐसे मामले से किसी नागरिक को दो चार न होना पड़े साथ–ही–साथ ऐसे मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को उदाहरणीय दण्ड मिल सके।

उपर्युक्त परिस्थिति में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर पूर्ण विचारोपरान्त न्यायहित, में आयोग निम्नलिखित अनुशंसा करती है :–

1. **प्रसंगाधीन मामले में राज्य सरकार पीड़ित, जरार एजाज शेरखर, की माता, नुसरत एजाज शेरखर (परिवादी) को क्षतिपूर्ति के रूप में दिनांक 11.02.2021 के पूर्व पांच लाख रुपये (रु0–5,00,000/–) का भुगतान करें।**

2. **परिवादी को क्षतिपूर्ति की उपरोक्त राशि (पांच लाख रुपये) का भुगतान उसके आई0सी0आई0सी0आई बैंक, 235, एम0जी0 रोड, कैम्प** शाखा, पुणे के **बचत खाता संख्या–648801506197**–IFSC Code- **ICIC0006488**, MICR Code-**411229025**, Customer id-**527175636** में किया जाय।

3. प्रसंगाधीन मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तीनों पुलिसकर्मियों (1. **श्री निसार अहमद, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज**, 2. **प्रसंगाधीन काड के अन्वेषणकर्त्ता पु0अ0नि0, श्री विनोद कुमार सिंह, साठी थाना**, 3. **साठी थाना के सिपाही–766 कृष्ण कुमार) के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के प्रतिफल से आयोग को अवगत कराया जाय।**

कार्यालय आज पारित आदेश की प्रति के साथ, आयोग के दिनांक–06–11–2019 को पारित आदेश की प्रति व पृष्ठ–102/प0 व पृष्ठ–106 व 107/प0 की प्रति के साथ, **अनुशंसा के ससमय अनुपालनार्थ, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना को** (Fax व email के माध्यम से भी) **भेजते हुए,** आज पारित आदेश से परिवादी को (उसके email-nusratsherkar@gmail.com व whats app no. 8552853580) के साथ–साथ उनके नये पते (पृष्ठ–93/प0 में उल्लेखित) पर सूचनार्थ भेजकर अवगत कराया जाय।

दिनांक 18.02.2021 को संचिका अनुपालन प्रतिवेदन की प्रत्याशा में उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक